भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 667

उत्तर देने की तारीख : गुरूवार, 05 फरवरी, 2026

16 माघ, 1947 (शक)

प्राकृतिक आपदाओं से विरासत स्मारकों का संरक्षण

667. श्रीमती सुधा मूर्ती:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाढ़, बिजली गिरने, भूकंप, चक्रवात, चरम मौसमी दशाओं और पर्यावरणीय कारकों जैसी प्राकृतिक आपदाओं से देश भर में संरक्षित स्मारकों और विरासत संरचनाओं के समक्ष आने वाले जोखिमों का आकलन किया है; और

(ख) क्या मंत्रालय, स्थापित संरक्षण सिद्धांतों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करते हुए, राज्य सरकारों एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ समन्वय कर ऐसे विरासत स्थलों पर निवारक संरक्षण, संरचनात्मक सुरक्षा तथा आपदा-तैयारी उपायों को सुदृढ़ करने का विचार रखता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): देश भर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख और अनुरक्षण के अन्तर्गत 3686 केंद्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल हैं। इन स्मारकों/स्थलों की वर्तमान स्थिति और जलवायु-जन्य कारकों अर्थात् बाढ़, बिजली गिरने, भूकंप, चक्रवात, प्रतिकूल मौसम जैसे प्राकृतिक खतरों और देश भर में संरक्षित स्मारकों और धरोहर संरचनाओं पर पर्यावरणीय कारकों का आंकलन करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कर्मचारी/अधिकारी समय-समय पर इन सभी स्मारकों/स्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस) स्थापित करके और चुनिंदा स्मारकों के समीपस्थ क्षेत्रों में परिवेशिक वायु गुणवत्ता की निगरानी करके देश भर के स्मारकों/स्थलों को संरक्षित करने के लिए प्रतिकूल मौसम और पर्यावरणीय कारकों से उत्पन्न खतरों का आकलन करता है। इस समस्या से बचाव हेतु जहां भी आवश्यकता होती है, उन स्मारकों पर बिजली के कंडक्टरों को भी लगाया जाता है।

इन धरोहर स्मारकों पर पर्यावरणीय/जलवायु-जन्य कारकों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए रासायनिक उपचार, समेकन, जीवनाशी और जल-रोधी उपचार जैसे प्रमुख उपायों को अपनाकर यथा-आवश्यक वैज्ञानिक उपचार और संरक्षण भी किया जाता है।

इसके अलावा, राज्य सरकारों और आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ समन्वय करते हुए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इन धरोहर स्थलों पर बचाव संरक्षण, संरचनात्मक सुरक्षा और आपदा से संबंधित तैयारियों को सुदृढ़ करने के कदम उठाता है और इन्हें प्रस्तावित करता है।
